

OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, N/W: ROHINI
DISTRICT COURT: DELHI
(General Administration Branch, N/W)

No. 2255 /GAB/ NW/Rohini/2024

Delhi, dated the 2/2/24

Notice

Tenders/ applications are invited from General Public for the allotment of 01 Canteen (2nd Floor, Rohini Court Building), 02 shops (No. 03-Stationery/ Law Books & No. 15-Stationery/ Courier Service) in Rohini Court Building, 24 Table Seats (23 Petition Writers {Hindi-03 & English-20} & 01 Stamp Vendor), 3rd Floor, Lawyers' Chamber Building, Rohini Court Complex & 09 Photocopiers purely on license basis for a period of one year (which may be renewed for one year and can be extended upto further 02 years).

The prescribed application form along with terms and conditions can be obtained from Room No. 400, General Administration Branch, N/W, Rohini Court, Delhi w.e.f 12.02.2024 to 26.02.2024 between 11:00 am to 3:00 pm against non-refundable cash amount of **Rs.1000/-** (for Canteen & Shops) & **Rs.600/-** (for Tables). In compliance of minutes of meeting of Building Maintenance Committee (North-West & North) dated 10.10.2023, the applicants who had purchased the forms pursuant to notification No.1202/GAB/NW/Rohini/2022 dated 20.09.2022 are given relaxation not to pay again for purchasing fresh applications forms. Last date for submitting Tender / Application forms is 29.02.2024. No application would be entertained after 03.00 pm on 29.02.2024.

The Principal District & Session Judge (N/W) reserves the right to accept or reject any or all the applications without assigning any reasons thereof.



(Vimal Kumar Yadav)
Principal District & Sessions Judge, N/W
Rohini Court, Delhi.

No. 2256-72 /GAB/NW/Rohini/2024

Delhi, dated the 2/2/24

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Notice Board (through Care Taker) at all District Court Complex: Rohini, Tis Hazari, Patiala House, Karkardooma, Saket, Rouse Avenue & Dwarka.
2. Website Committee, Rohini Courts and Tis Hazari Courts, Delhi.
3. For publication in English & Hindi daily newspapers.
4. For affixation (through Care Taker) at conspicuous place of Rohini Court Complex, Delhi.



(Vimal Kumar Yadav)
Principal District & Sessions Judge, N/W
Rohini Court, Delhi.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यालय,
उत्तर-पश्चिम: रोहिणी जिला न्यायालय: दिल्ली
(सामान्य प्रशासन शाखा, उत्तर-पश्चिम)

संख्या 2273 /सा.प्र.शा./उ.प./रोहिणी/2024


दिल्ली, दिनांक 21/2/24

सूचना

रोहिणी कोर्ट बिल्डिंग में 01 कैंटीन (दूसरी मंजिल, रोहिणी कोर्ट बिल्डिंग), 02 दुकानें (नंबर 03-स्टेशनरी / कानून की किताबें और नंबर 15-स्टेशनरी / कूरियर सेवा), 24 टेबल सीटें (23 याचिका लेखक {हिंदी - 03 और अंग्रेजी-20} और 01 स्टाम्प विक्रेता), तीसरी मंजिल, वकीलों के चैम्बर भवन, रोहिणी कोर्ट काम्प्लेक्स और 09 फोटोकॉपियर पूरी तरह से एक वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस के आधार पर (जिसे नवीनीकृत किया जा सकता है और एक वर्ष के लिए या आगे 02 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) के आवंटन के लिए आम जनता से निविदा/आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

नियम और शर्तों के साथ निर्धारित आवेदन पत्र कमरा नंबर 400, सामान्य प्रशासन शाखा, उत्तर पश्चिम, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली से दिनांक 12.02.2024 से 26.02.2024 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच प्राप्त किया जा सकता है। रुपये की गैर - वापसी योग्य नकद राशि 1000/- रुपये (कैंटीन और दुकानों के लिए) और 600/- रुपये (टेबल के लिए)। भवन रखरखाव समिति (उत्तर-पश्चिम और उत्तर) की दिनांक 10.10.2023 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन में, जिन आवेदकों ने अधिसूचना संख्या 1202/GAB/NW/Rohini/2022 दिनांक 20.09.2022 के अनुसार फॉर्म खरीदे थे, उन्हें छूट दी गयी है। उन्हें नए आवेदन पत्र खरीदने के लिए दोबारा भुगतान नहीं करना होगा। निविदा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 29.02.2024 है। 29.02.2024 को अपराह्न 03:00 बजे के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पश्चिम के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।


(विमल कुमार यादव)


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उत्तर-पश्चिम, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली।

संख्या 2274-70 /सा.प्र.शा./उ.प./रोहिणी/2024

दिल्ली, दिनांक 21/2/24

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. दिल्ली के सभी जिला न्यायालय परिसर (रोहिणी, तीस हजारी, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, साकेत, राउज एवेन्यू, द्वारका) के नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए (सम्बंधित परिसर के केयरटेकर के माध्यम से)।
2. वेबसाइट समिति, रोहिणी न्यायालय परिसर एवं तीस हजारी जिला न्यायालय परिसर, दिल्ली।
3. अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
4. रोहिणी न्यायालय परिसर के विशिष्ट चिन्हित स्थान पर लगाने के लिए (सम्बंधित परिसर के केयरटेकर के माध्यम से)।


(विमल कुमार यादव)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उत्तर-पश्चिम, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली।